

दिनांक-04.02.2025 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के गन्ना कृषकों को 10 रु० प्रति किंवटल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए वितरण की प्रक्रिया एवं किसानों का पे-आईडी बनाने के संबंध में VC के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

समय- : अपराह्न 05:00 बजे।

उपस्थिति- संयुक्त ईखायुक्त, सहायक ईखायुक्त (मु०), ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/बेतिया अंचल, बेतिया/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/सीवान/समस्तीपुर/चीनी मिलों के प्रतिनिधि।

ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बैठक आरम्भ हुई। ईखायुक्त, बिहार द्वारा बताया गया कि पेराई सत्र 2024-25 से गन्ना कृषकों को 10 रु० प्रति किंवटल की दर से ईख मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश निर्गत कर दिया गया है। गन्ना कृषकों को CFMS के माध्यम से ईख मूल्य का भुगतान करने में हो रही कठिनाई के संबंध में यह बैठक आहूत की गयी है। सरकार का उद्देश्य है कि गन्ना कृषकों को ससमय राशि प्राप्त हो जाय।

ईखायुक्त द्वारा पूछा गया कि राशि का वितरण करने में क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही है? विचार-विमर्श के क्रम में निम्न बिन्दु प्रकाश में आयी:-

सभी ईख पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गन्ना कृषकों को CFMS के माध्यम से ईख मूल्य का भुगतान करने में कृषकों की आधार संख्या, जन्म तिथि एवं पिन कोड की आवश्यकता है, जो चीनी मिलों के पास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

ईख पदाधिकारी, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि लगभग 1700 गन्ना कृषकों का वांछित सूचना सुगौली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है एवं लगभग 15000 कृषकों का सूचना अभी आना बाकी है। सुगौली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा टीम बनाकर क्षेत्र में data collection हेतु supervise कर रहे हैं।

2. ईखायुक्त, बिहार द्वारा कहा गया कि समस्या का पता चल गया है। सभी चीनी मिलों के साथ समान समस्या है। इसे अतिशीघ्र resolve करते हुए कृषकों को भुगतान किया जाना अति आवश्यक है। उनके द्वारा कहा गया कि सुगौली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा अपनायी गयी method को अन्य चीनी मिलें भी अपना कर बहुत ही कम समय में वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ईखायुक्त द्वारा अन्य चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से भी वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सुझाव मांगा गया:-

(i) हसनपुर चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि सभी गन्ना कृषकों को SMS एवं क्षेत्र में announcement कराकर वांछित सूचना प्राप्त किया जा रहा है।

(ii) मझौलिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि शत-प्रतिशत गन्ना कृषकों का आधार संख्या उनके पास उपलब्ध है, परन्तु आधार कार्ड की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी उनके पास उपलब्ध नहीं है। मात्र कृषकों की जन्म तिथि एवं पिन कोड उपलब्ध कराने में समस्या आ रही है।

(iii) नरकटियागंज चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि कृषकों को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु SMS कर दिया गया है एवं e-rickshaw hire कर क्षेत्र में announcement करा रहे हैं।

(iv) सिधवलिया चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि मिल गेट के entry गेट पर एक रजिस्टर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु रख दिया गया है, जिसमें कृषकों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(v) बगहा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि जिन कृषकों का आधार संख्या चीनी मिल के पास उपलब्ध है, उसे एक सप्ताह से रिपोर्ट में feeding किया जा रहा है।

(vi) हरिनगर चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि क्रय केन्द्रों पर ही वांछित सूचना collect किया जा रहा है। दिनांक-31.12.2024 तक लगभग 33,000 गन्ना कृषकों द्वारा गन्ना आपूरित किया गया है। लगभग 58,500 कुल गन्ना कृषक है।

(vii) सुगौली चीनी मिल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि संबंधित बैंको से भी वांछित सूचना प्राप्त किया जा सकता है।

3. संयुक्त ईखायुक्त द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर एवं जनवरी, 2025 में समान्यतः कृषकों द्वारा मात्र खूँटी गन्ना ही आपूरित की जाती है। माह फरवरी, 2025 से गन्ना आपूरित करने वाले कृषकों से संबंधित चीनी मिलें वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

4. समीक्षोपरान्त निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन हेतु निर्णय लिया गया:-

(i) सभी चीनी मिलें संबंधित बैंको से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु बैंको से समन्वय किया जाय। इस हेतु ईखायुक्त स्तर से बैंको को अनुरोध किया जायेगा।

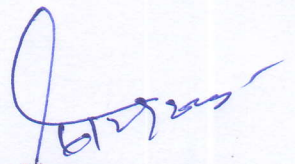
(ii) जितने कृषकों का सूचना प्राप्त हो चुका है, उन्हें आवश्यक जाँचोपरांत राशि भुगतान करने की कार्रवाई की जाय।

(iii) संबंधित चीनी मिलें किसानों से वांछित सूचना प्राप्त कर ईख पदाधिकारी को दिनांक-12.02.2025 तक उपलब्ध करायेंगे। चीनी मिल प्रबंधन अपने ग्राम स्तरीय कर्मों को दैनिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

(iv) समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं रेडियो जिंगल के माध्यम से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रचार किया जाय।

इस विषय पर अगली बैठक दिनांक-06.02.2025 को अपराह्न 05:00 बजे निर्धारित की गयी।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

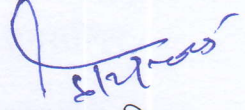


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

क्रमशः.....

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-175/ईका /पटना, दिनांक- 06 फरवरी, 2025

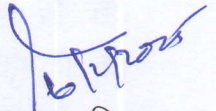
प्रतिलिपि-महाप्रबंधक, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/राज्य से गन्ना क्रय करने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें/ सभी ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी/ संयुक्त ईखायुक्त/ सहायक ईखायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-175/ईका /पटना, दिनांक- 06 फरवरी, 2025

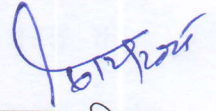
प्रतिलिपि-महाप्रबंधक, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/राज्य से गन्ना क्रय करने वाली उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें/ सभी ईख पदाधिकारी/ विशेष ईख पदाधिकारी/ संयुक्त ईखायुक्त/ सहायक ईखायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-175/ईका /पटना, दिनांक- 06 फरवरी, 2025

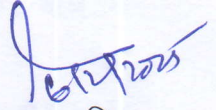
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-7013/2024-175/ईका /पटना, दिनांक- 06 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ईखायुक्त, बिहार।